न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी— हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
23/2018	16/05/2018	03/11/2025

1. ललता पत्नी नन्दकिशोर जाति मीणा नि बोरदा
2. विष्णु मीणा (ना0बा0) जरिये वली माता ललता पत्नी नन्दकिशोर जाति मीणा नि बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

वादीगण

बनाम

1. परमानन्द पुत्र रामनारायण जाति मीणा नि. बोरदा
2. कृपाशंकर पुत्र रामनारायण जाति मीना नि बोरदा
3. जगन्नाथी पुत्री रामनारायण पत्नी रामगोप जाति मीणा नि0 जोरावरपुरा
4. उर्मिला पुत्री रामनारायण पत्नी बाबूलाल जाति मीणा नि0 आडागेला

5/1 गिराज पुत्र धोलीबाई पत्नी राधेश्याम मीणा

5/2 लेखराज पुत्र धोलीबाई पत्नी राधेश्याम मीणा

5/3 रामावतार पुत्र धोलीबाई पत्नी राधेश्याम मीणा

5/4 रामराज पुत्र धोलीबाई पत्नी राधेश्याम मीणा नि0 श्रीपुरा कावरा

5/5 फोरन्ती पुत्री धोलीबाई पत्नी प्रेमशंकर मीणा नि0 विजयपुरा

6. रामबिन्ता पुत्री रामनारायन पत्नी रामहेत जाति मीना नि0 हथौली तह. पीपल्दा
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः— श्री मनोज शर्मा एड0।

प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः— श्री नन्दकिशोर पारेता एड0।

दावा अर्न्तगत धारा 88,89,91,188 आर.टी. एक्ट.

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. में खाता संख्या नया 76 पुराना 69 की खसरा नम्बर 532 रकबा 2.71 हैक्टर व खसरा नम्बर 551 की रकबा 1.86 है. कुल किता 2 की कुल रकबा 4.57 हैक्टर नहरी प्रथम कृषि भूमि स्थित है जिसमें वादीगण का 1/4 व प्रतिवादी कम 1 व 2 तथा मृतक कल्याण बैवा रामनारायण का 3/4 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज है उपरोक्त आराजी कों आगें सुविधा की दृष्टि से विवादग्रस्त आराजी कहा गया है। विवादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी कम 1 व 2 को रामनारायण जी से विरासतन प्राप्त हुई है जिसमें खातेदार के रूप में कल्याण बैवा रामनारायण का नाम भी दर्ज है चूकि कल्याण बाई की मृत्यु हो चुकी है और पक्षकारान मीणा जाति से है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है और वह पुरानी हिन्दू विधि के अनुसार गर्वन होते है जिसके अनुसार पुरुष उत्तराधिकारी होने की दशा मे पुत्रियो का सम्पति मे कोई अधिकार प्राप्त नही होते है तथा विधवा को भी मात्र जीवन प्रर्यन्त भरण पोषण का अधिकार प्राप्त होता है विधवा स्त्री को कृषि आराजी कों रहन, बैचान, दान, वसीयत, आदि करने का अधिकार प्राप्त नही होता है। विवादग्रस्त आराजी रामनारायण जी की मृत्यु के बाद वादीगण व प्रतिवादी कम 1 व 2 को प्राप्त हुई लेकिन विवादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी कम 3 ता 6 का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नहीं हुआ क्योकि मीणा जाति में पुरूष उत्तराधिकारी होने की दशा में पुत्रियो को सम्पति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है इसलियें प्रतिवादी कम 3 ता 6 का नाम रामनारायण जी की मृत्यु के बाद राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नहीं हुआ केवल वादीगण व प्रतिवादी कम 1 व 2 का नाम दर्ज हुआ। रामनारायण जी की विधवा कल्याणीबाई की मृत्यु हो चुकी है जिसका नाम विवादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज था, जिसें मात्र विवादग्रस्त आराजी से भरण पोषण करने का अधिकार प्राप्त था, और जिसकें पुरूष वैध उत्तराधिकारी का नाम राजस्व रिकार्ड में पहले से ही दर्ज है लेकिन प्रतिवादी 3 ता 6 अवैध व गैर कानूनी तरीके से रामनारायण जी की विवादग्रस्त सम्पति को हडप करने के उद्देश्य से कल्याणी बैवा रामनारायण के वारिसान के रूप में अपना नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवाना चाहती है जबकि कानूनन प्रतिवादी कम 3 ता 6 कों अपना नाम दर्ज करवाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है और वादीगण को यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

द्वह प्रतिवादी कम 3 ता 6 द्वारा कल्याणीबाई कें स्थान पर अपना नाम दर्ज करवाना चाहती है उस अवैध इन्द्राज कों न्यायालय श्रीमान की सहायता से रोकें इस कारण यह वाद न्यायालय में वारतें घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है। वाद कारण दिनांक 5.5.018 कों प्रतिवादी कम 3 ता 6 द्वारा विवादग्रस्त आराजी मे अपना नाम अवैध व गैर कानूनी तरीके से दर्ज करवाने व कल्याणीबाई के स्थान पर स्वयं के नाम नामान्तकरण खुलवाने की धमकी देने तथा राजस्व रिकोर्ड में नाम दर्ज करवाकर विवादग्रस्त आराजी को दिगर व्यक्ति कों विक्रय करने व खुर्द बुर्द करने की धमकी देने के कारण उत्पन्न हुआ है। वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. की कृ वि आराजी खसरा नम्बर 532 रकबा 2.71 हैक्टर व खसरा नम्बर 551 की रकबा 1.86 हैक्टर कुल किता 2 की कुल रकबा 4.57 हैक्टर पर कल्याणी बैवा रामनारायण के स्थान पर प्रतिवादी कम 3 ता 7 के नाम नामान्तकरण दर्ज नही किया जावें तथा उपरोक्त आराजी मे वादीगण कों 1/3 व प्रतिवादी कम 1 व 2 का 2/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावें तदनुसार राजस्व रिकोर्ड मे इसका अमल दरामद किया जावे। यदि दौराने वाद प्रतिवादी कम 3 ता 7 विवादग्रस्त आराजी में अपना नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवा लेते है ओर राजस्व रिकोर्ड में नाम दर्ज करवाकर अपनें हिस्सें की आराजी कों दिगर व्यक्ति को रहन, बैचान, दान, वसीयत, हकत्याग आदि कर देते है तों ऐसे रहन, बैचान, दान, वसीयत, हकत्याग कों वादीगण के हितो के मुकाबलें बेअसर व शून्य घोषित समझा जावें।

वादी की ओर से वाद श्री मनोज शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी कम 1 ता 6 की ओर से श्री नन्द किशोर पारेता एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी कम 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी कम 1 ता 6 को काफी अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी प्रतिवादी कम 5 के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लेने के लिए पेश करने पर संशोधित टाईटल पेश किया। जिसे स्वीकार किया गया। साक्ष्यवादी पी0डब्ल्यू0 1 ललता, पी0डब्ल्यू0 2 विष्णु, पी0डब्लयू0 3 रामप्रकाश, पी0डब्ल्यू0 4 गिर्राज प्रसाद पेश किया। वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्यवादी शपथ पत्र में नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा सं0 2070–73 प्रदर्श पी–1, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बोरदा प्रदर्श पी–2, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श पी–3 पेश किए। प्रतिवादी श्री नन्द किशोर पारेता द्वारा गवाहों से जिरह करने से मना किया। जिरह गवाह बन्द कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रतिवादी को सभी पेशियों पर बार–बार आवाज लगवाने पर भी बहस हेतु उपस्थित नहीं होने से एकतरफा बहस वादी सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यवादी एवं गवाह वादी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र एवं वहस के आधार पर हस्तगत प्रकरण मीना जाति का पाया गया एवं मीना जाति अनुसूचित जनजाति में होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होकर पुरानी हिन्दु विधी लागू होती है जिसके अनुसार पुरूष उत्तराधिकारी होने की दशा में पुत्रियों को सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है एवं प्रतिवादी सं0 3 ता 6 का नाम वर्तमान जमाबन्दी में भी नहीं है। कल्याणी फोत हो चुकी है। कल्याणी के वैध वारिस राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व से ही दर्ज है। ललता के के पति के भी पुरूष वारिस जमाबन्दी में दर्ज है। अतः कल्याणी व ललता का नाम खाते से विलोपित किया जाना आवश्यक है।

अतः ग्राम बोरदा पटवार मण्डल बोरदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा के ख0नं0 532 रकवा 2.71है0, ख0नं0 551 रकबा 1.86है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.57है0 से कल्याणी पुत्री स्व0 रामनारायण व ललता पत्नि स्व0 नन्दकिशोर का नाम विलोपित कर वादी नावालिग विष्णु पुत्र स्व0 नन्दकिशोर ना0बा0 व वलियत ललता पत्नि स्व0 नन्दकिशोर जाति मीणा हि0 1/3, प्रतिवादी सं0 1 परमानन्द पुत्र रामनारायण जाति मीणा हि0 1/3, प्रतिवादी सं0 2 परमानन्द पुत्र रामनारायण जाति मीणा हि0 1/3 का खातेदार घोषित किया जाता है एव तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जाता है कि निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। प्रतिवादी कम 3 ता 5 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी कम 1 व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के हक हकूक अधिकारों में एवं कृषि भूमि काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अम अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
तीतासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
23/2018	16/05/2018	03/11/2025

1. ललता पत्नी नन्दकिशोर पाति मीणा कि बोरदा
2. विष्णु मीणा (ना0बा0) जरिये वली माता ललता पत्नी नन्दकिशोर जाति मीणा नि बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

वादीगण

बनाम

1. परमानन्द पुत्र रामभारायण पाति मीणा नि. बोरदा
2. कृपाशंकर पुत्र रामनारायण पाति मीना नि बोरदा
3. जगन्नाथी पुत्री रामनारायण पत्नी रामगोप जाति मीणा नि0 जोरावरपुरा
4. उर्मिला पुत्री रामनारायण पत्नी बाबूलाल जाति मीणा नि0 आडागेला
5/1 गिर्राज पुत्र धोलीबाई पत्नी राधेश्याम मीणा
5/2 लेखराज पुत्र धोलीबाई पत्नी राधेश्याम मीणा
5/3 रामावतार पुत्र धोलीबाई पत्नी राधेश्याम मीणा
5/4 रामराज पुत्र धोलीबाई पत्नी राधेश्याम मीणा नि0 श्रीपुरा कावरा
5/5 फोरन्ती पुत्री धोलीबाई पत्नी प्रेमशंकर मीणा नि0 विजयपुरा
5. रामबिन्ता पुत्री रामनारायन पत्नी रामहेत जाति मीना नि0 हथौली तह, पीपल्दा
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री मनोज शर्मा एड0।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री नन्दकिशोर पारेता एड0।

दावा अर्न्तगत धारा 88,89,91,188 आर.टी. एक्ट.

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री मनोज शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू..... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम बोरदा पटवार मण्डल बोरदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा के ख0नं0 532 रकबा 2.71है0, ख0नं0 551 रकबा 1.86है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.57है0 से कल्याणी पुत्री स्व0 रामनारायण व ललता पत्नि स्व0 नन्दकिशोर का नाम विलोपित कर वादी नाबालिग विष्णु पुत्र स्व0 नन्दकिशोर ना0बा0 व वलियत ललता पत्नि स्व0 नन्दकिशोर जाति मीणा हि0 1/3, प्रतिवादी सं0 1 परमानन्द पुत्र रामनारायण जाति मीणा हि0 1/3, प्रतिवादी सं0 2 परमानन्द पुत्र रामनारायण जाति मीणा हि0 1/3 का खातेदार घोषित किया जाता है एव तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जाता है कि निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। प्रतिवादी कम 3 ता 5 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी कम 1 व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के हक हकूक अधिकारों में एवं कृषि भूमि काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है। डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 27.10.2025 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा